नगर निगम, वाराणसी ।
ई– टेण्डर नोटिस संख्या–03/2018–19,

ई–निविदा सूचना संख्या– 68/अ0वि0अ0/नि0/2018-19 दिनांक– 06-06-2018

नगर निगम, वाराणसी द्वारा 14वॉं वित्त आयोग विकास निधि के स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती है, कार्यो का विवरण नगर निगम, वाराणसी के वेबसाइट www.nnvns.org पर देखा जा सकता है । उक्त कार्य की निविदा www.etender.up.nic.in पर सबमिट की जायेगी ।

निविदा प्रकाशन	– 07.06.2018	
निविदा प्रकाशन वेबसाइट पर तिथि/समय	– 08.06.2018	10:00 बजे से
निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	– 08.06.2018	10:00 बजे से
निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	– 08.06.2018	10:00 बजे से
निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	– 25.06.2018	17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि/समय	– 26.06.2018	10:00 बजे

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रू0 में)	बयाने की धनराशि	टेण्डर शुल्क
1	2	3	4	5
1.	वरूणानदी के तीन पुलों पर लोहे की रेलिंग लगाने का कार्य ।	4299500	86000	1300
2.	जे0पी0 मेहता स्कूल का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकरण का कार्य ।	10000000	200000	1300

1. **उक्त निविदा में केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्था में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म जिनका पंजीयन वर्ष 2018–19 में पंजीकृत हो प्रतिभाग कर सकते है ।**
2. **उपरोक्त कार्यो हेतु निविदादाता को सामान प्रकृति के कार्यो का अनुभव आवश्यक है ।**
3. जिस श्रेणी में ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण है वह उसी श्रेणी के कार्यों की निविदा में प्रतिभाग कर सकते है ।
4. बयाने की धनराशि कार्य के लगायत 02 प्रतिशत के रूप में (प्राविधानिक धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर/डी0आर0सी0/एन0एस0सी0 जो कि मुख्य अभियन्ता नगर निगम वाराणसी के नाम से बन्धक हो) की स्कैन कापी, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर/ डी0आर0सी0/एन0एस0सी0 का नम्बर, बैंक का नाम तथा दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है निविदा स्वीकृति में अपलोड की गयी हो भिन्नता पाये जाने पर निविदादाता के विरूद्व पंजीकरण के शर्तो के अधीन कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।
5. उक्त ई–टेण्डर को नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org पर भी देखा जा सकता है ।
6. निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सबमीट की जायेगी व अपना टी0–4, टी0–5 की स्व0 प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में निविदा खोलने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा ।
8. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुवन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम कालीसूची में डाला जायेगा।
9. निविदाओं में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. अनुमानित आगणन धनराशि 15 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा को स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।
11. अनुमानित आगणन धनराशि 1 से 15 प्रतिशत निम्न निविदा डालने पर उतनी अतिरिक्त धनराशि का एफ0डी0आर0 निविदा स्वीकृति के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
12. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सेक्युरिटी (एफ0डी0आर0/टी0डी0आर/ डी0आर0सी0/एन0एस0सी0) अनुबन्ध गठन के समय जमा करना अनिवार्य होगा । जिसे कार्य पूर्ण होने के 01 वर्ष पश्चात् 05 प्रतिशत मुक्त किया जायेगा । शेष 05 प्रतिशत का सेक्युरिटी 05 वर्ष के पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा ।
13. कार्य कराने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यो की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न की जाय तथा गुणवत्ता का परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।

14. प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ कराने के पूर्व स्थल पर कार्य के नाम का बोर्ड, कार्य की लम्बाई, अनुमानित धनराशि, कार्यावधि, कार्य प्रारम्भ तिथि का उल्लेख, ठेकेदार/एजेन्सी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित करते हुये बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ।
15. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार होगा ।
16. निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिन के अन्दर यदि कार्य का अनुबन्ध नहीं कराया जाता है तो बयाने की धनराशि जब्त कर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा । जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
17. उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली– 2009 के अनुसार कार्यों के निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उक्त कार्य (सेस) की धनराशि उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी । जिसका समाविष्ट करते हुये निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें ।
18. **करायें गये कार्यों की जाँच Third Party से कराना अनिवार्य होगा । जाँच के उपरान्त की भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।**
19. किसी अथवा सभी प्राप्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, वाराणसी